ST-BUD/OT/1/2023-XXXIV-2-Information Technology Department

1725/11/2023

संख्या–1725/XXXIV-2/2022/04/56073/2023

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यू–कॉस्ट),
झाझरा देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 04 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं विज्ञान धाम हेतु राजस्व मदों में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यू–कॉस्ट) के पत्र संख्या–24793 वि0प्रौ0प0 / लेखा / 2023–24 दिनांक 31.10.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान– 60–अन्य –004 अनुसंधान तथा विकास के अंतर्गत 07–उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को मद संख्या–56(सामान्य गैर वेतन) में प्राविधानित रू0 1375.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष पूर्व में निर्गत रू0 620.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए वर्तमान में उक्त मद में शेष धनराशि रू0 755.00 लाख के सापेक्ष रू0 580.00 लाख(रू पांच करोड़ अस्सी लाख मात्र), तथा 15–विज्ञान धाम परियोजना हेतु मद संख्या–56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत रू0 52.50 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए वर्तमान में उक्त मद में शेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 47.50 लाख की धनराशि एवं मद संख्या–27 (व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान) हेतु बजट प्राविधान रू0 10.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत रू0 5.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 5.00 लाख अर्थात् **कुल रू0 632.50 लाख की धनराशि** (रू0 छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) संलग्न–1 के अनुसार को नियमानुसार निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

अ– बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।

ब– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एंव दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

स– प्रत्येक दशा में मितव्यता का विशेष ध्यान रखा जाय और मितव्ययता के संबंध में योजना बना ली जाय। तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित / आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट का लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित किया जाय। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

द– धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

य– प्रश्नगत् धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाय अन्यथा धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

र– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–01 (लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/विवरणानुसार सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
3– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक–31.03.2023 एवं शानादेश संख्या–155181 दिनांक 18.09.2023 में प्रदत्त अधिकार/दिशा–निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–ऑनलाईन बजट आई0डी0</u>

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 04-12-2023 10:02:18

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

<u>संख्या–172511/XXXIV-2/2022/04/56073/2023, तद्दिनांकित।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. बजट अधिकारी साईवर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Rajnish Jain
Date: 04-12-2023 10:46:19

(रजनीश जैन)
उप सचिव

<u>शासनादेश संख्या– /XXXIV-2/2022/04/56073/2023 का संलग्नक–1</u>

1.उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

Scanned with OKEN Scanner